NR01-48844914 1/8/005001

<u>स्मृति- पत्र</u>

1- संस्था का नाम :: मंजुल लोक कल्याण एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेन्ट सोसायटी।

2- संस्था का पता : डी- 163 बर्रा-6 कानपुर नगर - 208027

3- संस्था का कार्यक्षेत्र: समस्त भारत वर्ष सीमा।

4- संस्था के उद्देश्य:-

1- संस्था का मुख्य उद्देश्य जनता का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक रचनात्मक, आत्मिक उन्नति का समुचित प्रयास करना।

2- संस्था के कार्यक्षेत्र में प्राविधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा सक्षम अधिकारियों की अनुमति से मेडिकल एवं इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

3- शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी माण्टेसरी तथा शिशु स्तर से लेकर प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर मीडियट आवश्यकता होनेपर स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा तक के विविध नामों से स्कूल खोलना एवं उनका संचालन करना। जिसमे बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा कीव्यवस्था करना।

4- सामाजिक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन करना समाजसुधार नाटकों का मंचन करना।

संस्था के कार्यक्षेत्र में निर्बल असहाय निर्धनों की सहायता करना तथा महिलाओं एवं बेरोजगारों को आत्म निर्भर बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई कताई, बुनाई, टाइपिंग, आफिस कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, रेडियो, टी.वी. इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों के शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

6- उद्यान विभाग कीयोजनाओं का संचालन करना तथा पंचायतीराज विभाग, स्वर्ण जयन्तीरोजगार योजना के कार्यक्रमों का संचालन करना।

7- संस्था के कार्यक्षेत्र मे कृषि प्रिजवेशन कार्यक्रमों मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, फूडप्रोसेसिंग, आदि कार्यक्रमों का जनहित मे संचालित करना।

8- पर्यावरण सुधार वृक्षारोपण, प्रदूषण नियन्त्रण, टीकाकरण, जन संख्या नियन्त्रण, एड्स नियन्त्रण एवं जागरूकता कार्यक्रमों, पल्सपोलियो कार्यक्रमों, नेत्र शिविरों, स्वास्थ्य शिविरों निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

9- समाज की निर्बल वर्ग की महिलाओं को रोजगारपरक एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना।

सत्य-प्रतिलिपि

पुस्तकालय वाचनालय व्यायामशाला, क्रीड़ा केन्द्रों आदि की स्थापनाकरना एवं उनका संचालन करना।

NRO1-48844914118-1009S002

(2)

विकलांगो को विविध प्रकार के प्रशिक्षण देना कृत्रिम अंगउपकरणों को दिलाना मूक, बधिर अन्ध विद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना तथा, नशा वारण केन्द्रो की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

11- संस्था के कार्यक्षेत्र में प्रौढ़शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। दैविय आपदाओं के समय जनता की सहायता करना यथा, भूकम्पपीड़ितो, बाढ़पीड़ितो अग्निपीड़ितो, महामारी आदि से पीड़ितो की सहायता करना।

5- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिन्हें संस्था के नियमानुसार कार्य भार सौंपा गया है :-

| क्र० सं० नाम | पिता/पतिका नाम | पता | पद | व्यवसाय |
|---|---|---|---|---|
| 1- श्री महानन्द दुबे | स्व० कपिलदेव दुबे | ग्राम व पो० [illegible] जनपद आजमगढ़ | संरक्षक | वकालत |
| 2- श्रीमती मंजुल दुबे | स्व० रमानन्द दुबे | सी- 163 वर्ग-6 कानपुर-208027 | अध्यक्ष | समाजिककार्य |
| 3- श्री वेंकटेश्वर मिश्र | स्व० रामसुरत मिश्र | ग्राम व पो० [illegible] शाहंशाहपुर जनपद वाराणसी | उपाध्यक्ष | नौकरी |
| 4- श्री सदानन्द दुबे | स्व० कपिलदेव दुबे | सी- 163 वर्ग-6, कानपुरनगर - 208027 | सचिव/प्रबन्धक/कोषाध्यक्ष | नौकरी |
| 5- डा० सदानन्द तिवारी | स्व० [illegible] तिवारी | ग्राम नगरन पो० नगर जिला गाजीपुर | सदस्य | नौकरी |
| 6- श्री अमरीश दुबे | श्री स्व० [illegible] दुबे | सी- 163 वर्ग-6 कानपुर-208027 | सदस्य | समाजसेवा |
| 7- श्री साहबराज सिंह | श्री विक्रमाजीत सिंह | सी- 217 वर्ग-6 कानपुर-27 | सदस्य | नौकरी |

(6) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृतिपत्र एवं नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजि० अधिनियम की धारा 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते है।

दिनांक 5/11/03

| | | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1- श्री महानन्द दुबे | ग्राम व पो० [illegible] जनपद आजमगढ़ | महानन्द |
| 2- श्रीमती मन्जुल दुबे | सी- 163 वर्ग-6 कानपुर 208027 | मंजुल |
| 3- श्री वेंकटेश्वर मिश्र | ग्राम व पो० शाहंशाहपुर जिला वाराणसी | वेंकटेश्वर मिश्र |
| 4- श्री सदानन्द दुबे | ग्राम म० नं० सी- 163 वर्ग-6 कानपुर-208027 | [signature] |
| 5- डा० सदानन्द तिवारी | ग्राम नगर पो० नगर जिला गाजीपुर। | Satewari |
| 6- अमरीश दुबे | सी- 163 वर्ग-6 कानपुर 208027 | अमरीश |
| 7- साहबराज सिंह | सी- 217 वर्ग-6 कानपुर - 27 | साहबराज सिंह |

सत्य-प्रतिलिपि

[signature]

[illegible]
[illegible] कार्यालय

[signature]
26/4/11
(एस० एन० दुबे)
कनिष्ठ कार्य प्रब[illegible]
भारत सरकार, रक्षा [illegible]
आयुध निर्माणी [illegible]
कालपी रोड, कानपुर-20[illegible]

Scanned by CamScanner

## नियमावली

1- संस्था का नाम : मंजुल शोभा वेलफेयर एण्ड एजूकेशनल डेवलपमेन्ट सोसाइटी ।

2- संस्था का पता : सी- 163 बर्रा-कानपुर नगर - 208027

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त भारत वर्ष होगा।

4- संस्था के उद्देश्य : स्मृतिपत्र के अनुसार होंगे ।

5- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

1- संस्थापक सदस्य :- संस्था की स्थापना श्री सदानन्द दुबे ,श्रीमती मन्जूलता दुबे, श्री अमरीश दुबे द्वारा अपने अथक प्रयास व धनराशि से की जा रही है संस्थापक सदस्य कहलायेंगे । जो आजीवन संस्थापक सदस्य रहेंगे ।

संस्था की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति संस्था के प्रबन्धक/ सचिव एवं अध्यक्ष के नाम से आवेदन करेंगे । तत्पश्चात प्रबन्धक/ सचिव/ अध्यक्ष द्वारा संस्था की सदस्यता निर्धारित सदस्यताशुल्क प्राप्त कर सदस्य बनायेंगे ।

आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति इस संस्था को 50,000/ - ( पचास हजार रुपये) एकवार में एक मुश्त अदा करेंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति अदा करेंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य बनाये जायेंगे ।

साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति इस संस्था को 1000/ - रुपया वार्षिक सदस्यताशुल्क के रूप में अदा करेंगे वे इस संस्था के साधारण सदस्य बनाये जायेंगे।

मनोनीत सदस्य :- जो व्यक्ति समाजसेवी सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधिप्राप्त शिक्षा विद्वान होंगे तथा ऐसे व्यक्ति जिनसे संस्था की प्रतिष्ठा बढ़े उन्हें संस्था की प्रबन्धसमिति द्वारा एक वर्ष के लिए मनोनीत किया जायेगा। सदस्यताशुल्क से मुक्त होंगे मताधिकारी नहीं होंगे स्वेच्छा से कोई सम्पत्ति या धनराशि दे सकते है ।

पदेन सदस्य :- संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के प्रधानाचार्य / आचार्य , प्रधानाचार्या/ प्राचार्या एवं परिस्थिताऋ में अध्यापकों द्वारा जो पदेन सदस्य प्रबन्धसमिति द्वारा बनाये जासको है ।

- सदस्यता की समाप्ति :- मृत्यु होनेपर, पागल होनेपर, दिवालिया होनेपर, किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित होनेपर, संस्था का निर्धारित सदस्यताशुल्क समय से न अदा करनेपर संस्था की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहनेपर अविश्वास का प्रस्ताव पारित होनेपर त्यागपत्र स्वीकृत होनेपर प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से निष्कासित करनेपर संस्था की

सत्य-प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
(कानपुर)

NRO1-48844914116-1003004



हानि पहुँचाने पर, संस्था के विरूद्ध प्रचार या मुकदमा की तैयारी करने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी के सदस्यता शुल्क वापस नहीं होगा और न ही सदस्यता का दावा कर सकेंगे। संस्थापक सदस्यों पर मृत्यु होना या [illegible] से [illegible] ही लागू होगा अन्य कारण संस्थापकों पर लागू नहीं होंगे। संस्थापक सदस्य संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करेंगे उनका [illegible] पूर्ण कार्य हेतु अनिवार्य होंगे।

7- संस्था के अंग :- संस्था के दो अंग है अ- साधारण सभा ब- प्रबन्धकारिणी समिति।

8- साधारण सभा: गठन:- संस्था के संस्थापक, आजीवन, साधारण [illegible] सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

बैठकें:- साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में एक होंगी तथा विशेष बैठकें आवश्यकता अनुसार सदस्यों को सूचना देकर अध्यक्ष के अनुमोदन पर प्रबन्धक/सचिव/कोषाध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगी।

सूचनाअवधि- सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति :- गणपूर्ति के लिए कुलसदस्यों में से 2/3 उपस्थितसदस्यों का कोरम होगा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी तथा पुनः बुलाई गई बैठकों के लिए कोरम की कोई आवश्यकता न होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :- संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष हुआ करेगा जिसकी तिथि संस्था की प्रबन्धसमिति तय करेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1- प्रबन्धसमिति का निर्वाचन करना।

2- संस्था के वार्षिक आय व्यय [illegible] व वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट को स्वीकृत करना।

3- संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन करना।

4- संस्था की प्रबन्धसमिति द्वारा पारित प्रस्तावों का अनुमोदन करना।

कार्यकारिणीसमिति : गठन:- साधारण सभा में से बहुमत या गुप्तमतदान या चुनाव प्रक्रिया या [illegible] प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा प्रबन्धकारिणी समिति में एक संरक्षक एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक सचिव/प्रबन्धक/कोषाध्यक्ष शेष 03 सदस्य सलाहकार 7 व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणीसमिति है जो आवश्यकता अनुसार 15 तक बढ़ाई या घटाई जा सकती है प्रबन्धसमिति के पदाधिकारी ही साधारण सभा व संचालित केन्द्रो के पदाधिकारी होंगे। सचिव/प्रबन्धक/कोषाध्यक्ष का चुनाव आजीवन संस्थापक सदस्यों में से हुआ करेगा।

सत्य-प्रतिलिपि-

(एस० एन
कनिष्ठ का
भारत सरकार,
आयुध निर्माणी
कालपी रोड,

ब- बैठकें:- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना सदस्यों को 24 घण्टे पूर्व की सूचना पर बुलाई जायेगी। सामान्य बैठक वर्ष में दो होंगी तथा विशेष कभी भी आवश्यकता अनुसार बुलाई जायेगी।

स- सूचना अवधि सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को ... पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना सदस्यों को 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

द- गणपूर्ति : गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से 2/3 उपस्थित सदस्यों का कोरम होगा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाती है तो पुनः बुलाई गई बैठकों के लिए कोरम की कोई आवश्यकता न होगी। बैठक का स्थान व समय अध्यक्ष के विवेक पूर्ववत रहेंगे।

य- रिक्त स्थानों की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होनेपर उस स्थान की पूर्ति साधारण सभा की बैठकों में शेष कार्य काल के लिए कर ली जायेगी।

र- प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1- संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना।

2- संस्था के वार्षिक आय व्यय बजट वार्षिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करना।

3- संस्था के विवादों को सुलझाना।

4- संस्था के संचालन हेतु नियम उपनियम बनाना उपसमितियाँ मनोनीत करना उनको कार्य सौंपना उनके कार्यों की समीक्षा करना कार्य सन्तोषजनक न पाये जानेपर मनोनयन निरस्त करना नई उपसमिति मनोनीत करना।

5- संस्था के द्वारा संचालित महाविद्यालयों को विश्व विद्यालय नियमावली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार संचालन करना।

6- उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, नागरिकों, वित्तीय संस्थाओं संस्थानों बैंकों, ट्रस्ट, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा विभाग आदि से दान, अनुदान, चन्दा धन चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करना।

ल- कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

- पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

क- संरक्षक संस्था के सम्मानित व्यक्ति होंगे। संस्था के प्रत्येक कार्य की समीक्षा करना सुझाव देना संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना दिये गये सुझावों पर प्रबन्धकारिणी समिति को कार्य करना होगा।

अध्यक्ष 1- संस्था की ओर से बैठकों की अध्यक्षता करना बैठकों के लिए कार्यवाही का अनुमोदन करना बैठकों को बुलाना तथा स्थगित करना किसी विचार समान मत आने पर संस्थापकों की राय से अपना एक निर्णायक मत देना। बैठकों मे प्रस्ताव रखने की अनुमति देना अन्य वे सभी कार्य कार्य करना जो संस्था के हित मे हों।

उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उनके कार्यों को करना सामान्य स्थिति मे उनका सहयोग करना।

सचिव/ प्रबन्धक/ कोषाध्यक्ष

संस्था का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी होगा। संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना संस्था की ओर से सरकारी विभागों से मे प्रतिनिधित्व करना संस्था की बैठकों की कार्यवाही लिखना लिपिबद्ध करना सुनाना तथा कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना संस्था की अदालती कार्यवाही करना संस्था के समस्त अभिलेख सुरक्षित रखना संस्था के द्वारा संचालित विद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों मे प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या/ प्राचार्य/ प्राचार्या अध्यापक/ अध्यापिकाओं रीडर, प्रोफेसरों चिकित्सकों कर्मचारियों पुस्तकालयाध्यक्ष आदि की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति पदच्युत करना वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन तय करना व भुगतान करना। समस्त स्टाफ की चरित्र पंजिकायें रखना उनके कार्य के आधार पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रविष्ट करना कारण बताओ नोटिस जारी करना पृथक या निलम्बित करना संस्था की चल या अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना हस्तान्तरण किराये पट्टे पर लेने देने संबंधित प्रपत्रों दस्तावेजों, अनुबन्धों, बैनामों आदि के प्रपत्रों दस्तावेजों, शर्तनामों बैनामों आदि पर हस्ताक्षर करना विभिन्न विभागीय अनुदान नियमों एवं शिक्षा संहिता के अनुसार विद्यालयों का संचालन करना अन्य वे सभी कार्य करना जो संस्था के हित मे हो सदस्यताशुल्क दान, अनुदान, चन्दा आदि समस्त प्रकार की धनराशियां प्राप्त करना। संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।

उपबन्ध 11- संस्था के नियमों एवं उपनियमों मे संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों एवं उपनियमों मे संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से सोसाइटीज रजि० अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किये जायेंगे। जो साधारण सभा की बैठकों मे किये जायेंगे।

12- संस्था का कोष एवं आय के स्रोत- संस्था का समस्त कोष किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस मे संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण अध्यक्ष एवं सचिव/ प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

13- [illegible] संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों / केन्द्रों के खाते प्रबन्धक/ सचिव एवं कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से विभागीय नियमानुसार संचालित किये जायेंगे।

(सो) निरक्षिक
चन्द्र तथा सोसाइटीज
कानपुर

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, नागरिकों वित्तीय संस्थाओं संस्थानों बैंकों, कपार्ट, इवाकेरा, हडसेल, ट्राईसेम, डी०आर०डी०ए० नवार्ड यूनिसेफ शिक्षा स्वास्थ्य मन्त्रालय भारत सरकार कल्याण मन्त्रालय प्राथमिक शिक्षा बोर्ड अन्य सरकारी विभागों से दान, अनुदान चन्दा ऋण चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करेगी ।

13- संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण आडिट :-

संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण आडिट प्रतिवर्ष या समाप्तवार किसी योग्य व्यक्ति आडीटर या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

14- संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

संस्था द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था द्वारा की जायेगी अथवा उसके पक्ष द्वारा प्रबन्धक/ सचिव/अध्यक्ष द्वारा की जायेगी अधिकृत व्यक्ति एडवोकेट द्वारा की जायेगी ।

15- संस्था के अभिलेख 1- सदस्यता रजिस्टर

2- कार्यवाही रजिस्टर

3- भण्डार रजिस्टर

4- लेखा कैशबुक

5- अन्य अभिलेख जो आवश्यकता होगी रखे जायेंगे ।

16- विघटन :- संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजि० अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

दिनांक 5/11-3 सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर

सत्य-प्रतिलिपि

मंजुल

(प्रेम चन्द गुप्त)
कनिष्ठ कार्य प्रबन्धक
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान
कालपी रोड, कानपुर-208 009

Scanned by CamScanner